परिशिष्ट–दो

प्रपत्र–2(क)

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम(संशोधन)नियमावली 2013 के नियम –17(क) को देखें

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी–हरिद्वार

पत्रांक मान्यता(प्रा0)/ 5624 /2014–15/ दिनांक 10-10-2014

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक /प्रबन्धक
एम्बीशन पब्लिक स्कूल (1 से 5)
झबरेडा,विकास खण्ड नारसन
जिला हरिद्वार

विषय: नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2)के प्रयोजनार्थ नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली 2013 के नियम 17(क)के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा–पत्र के कम में आपके विद्यालय **एम्बीशन पब्लिक स्कूल (1 से 5)झबरेडा विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार** को अधिनियम की धारा–19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है । जनपद हरिद्वार में आपके विद्यालय के मान्यता कोड/पंजीकरण संख्या **166/PSJ** है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम–18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय
10-10-14
मुख्य शिक्षा अधिकारी
हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सेवा में,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)
गढ़वाल मण्डल–पौड़ी (गढ़वाल)

अपर जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक
पौड़ी / चमोली / रुद्रप्रयाग / उत्तरकाशी / टिहरी / हरिद्वार / देहरादून।

आदेश पत्रांक / बे0 / 18 / 2005–06 / दिनांक 22 [illegible] 2006

विषय– अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा–6 से कक्षा–8 तक "ब" श्रेणी की अस्थाई मान्यता आदेशो का प्रेषण।

महोदय,

शासनादेश संख्या / 646 / 15–6–97 एस(7)89 दिनांक 13–8–97 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता समिति के सदस्यों की संस्तुति के आधार पर निम्न लिखित प्रतिबन्धों के अधीन अशासकीय जूनियर हाईस्कूल का कक्षा–6 से कक्षा–8 तक "ब" श्रेणी की अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का नवीनीकरण समय–समय पर कराया जाय।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी / अधिकारी नही होगा।
3. विद्यालय मे नियमानुसार अनुसूचित जाति / जनजाति के बच्चों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जाय।
4. विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित दरो के अनुकूल शुल्क लिया जाय। अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
5. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
6. विद्यालय की समस्त निधियों का लेखा–जोखा नियमानुसार रखा जायेगा।
7. विद्यालय में परिषद द्वारा निहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी, और न पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।
8. कर्मचारियों की सेवा–शर्तें बनाई जायेंगी।
9. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्थायें उनका पालन करेंगी।
10. विभाग से अनुमति प्राप्त किये बिना विद्यालय भवन में कक्षा–1 से कक्षा–5 तक एवं कक्षा–9 तथा कक्षा–10 संचालित न किये जाय।
11. विद्यालय अपने अध्यापकों / कर्मचारियों को वही वेतनादि देने के लिये जिम्मेदार होगा, जो परिषद के समान अर्हता वाले अध्यापकों / कर्मचारियों को मिल रहा है।
12. अप्रशिक्षित अध्यापकों तीन वर्ष में प्रशिक्षित कर दिया जाय।
13. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि हिन्दी होगी। हिन्दी अनिवार्य विषय के रुप में पढ़ायी जायेगी।
14. विद्यालय से उस क्षेत्र की वर्तमान संस्थाओं के स्तर तथा दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाये।

उक्त प्रतिबन्धकों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा, और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो विभाग द्वारा उसकी मान्यता बिना पूर्व सूचन के निरस्त की जा सकती है। "ब" श्रेणी की अस्थाई मान्यता दी जाने वाले विद्यालयो का विवरण निम्नवत् है।

1- [illegible] पब्लिक उ0 हाईस्कूल [illegible] चि0 क्षेत्र नारसन हरिद्वार।
2- आदर्श उ0 हाईस्कूल [illegible] हरिद्वार।
3- [illegible] उ0 हाईस्कूल [illegible] ज्वालापुर हरिद्वार।
4- [illegible] पब्लिक उ0 हाईस्कूल पुरोला उत्तरकाशी।

शासनादेश सं0 / 646 / 15–6–97–6एस(7)89 दि015–8–97 में दिये प्राविधानों के अन्तर्गत पद सृजित। प्र0अ0–01 पद, स0अ0–04 पद, लिपिक–01 पद, चतुर्थ श्रेणी 01 पद।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी (गढ़वाल)

पृष्ठांकन संख्या / बे0 / 1153-62 / 2005–06 दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल, विद्यालयी शिक्षा, मयूर बिहार, देहरादून।
2. अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल / मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल।
4. अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) गढ़वाल मण्डल।
5. सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाचार्य / प्रबन्धक।
6. कार्यालय गार्ड फाईल।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी